



दि. 19/06/2012

प्रिय श्री रामचन्द्रन

सप्रेम नमस्कार

देश में पासी जाति की जनसंख्या करिब पांच करोड के आसपास हैं। मुल रूप से उत्तरप्रदेश व बिहार के रहनेवाले पासी जाति के लोग आजादी के बाद बेरोजगारी के चलते देश के अन्य राज्यों में स्थलांतरीत हुए और जहां रोजगार मिला वहीं स्थायी हो चुके है। वर्तमान में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तिसगढ़, पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में पासी जाति के लोग लाखों की संख्या में रहते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर व शिक्षा से वंचित पासी समुदाय आजादी के बाद रोजगार के लिए देश के हर प्रांत में भटकते रहा और जहांभी उन्हें रोजगार मिला वही रहने लगा, परंतु अभी शिक्षा तथा अन्य सुविधा हेतु उन्हें जाति प्रमाणपत्र की आवश्यकता महसूस होने के बाद उन्हें पच्चास वर्ष का स्थानिक नागरिकता का प्रमाणपत्र मांगा जा रहा है। स्थानिक नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं मिलने के कारण जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए उन्हें काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछडा व भारत के निवासी होने के बावजूद आ रही उक्त कठिनाईयों को दूर कर पासी समुदाय को अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र उपलब्ध करने तथा तत्संबंधी निर्देश उपरोक्त राज्यों को देने हेतु श्री श्रीराम बहोरिया, दलित मित्र व वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अ. भा. पासी समाज, नागपुर ने विनती की है।

प्राप्त निवेदन आपके अवलोकनार्थ संलग्न किया है। आपसे अनुरोध है कि, उपरोक्त विषय पर उचित कार्यवाही कर उपकृत करें।

सहानुभूति के साथ,

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन

माननीय गृह राज्य मंत्री

भारत सरकार

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

आपका स्नेहांकित

विलास मुत्तेमवार
(विलास मुत्तेमवार)